<u>प्रेस नोट</u>

<u>थाना गरौठा, जनपद झाँसी</u>

<u>दिनांक 19.03.2026</u>

- **झाँसी पुलिस द्वारा अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु की जा रही प्रभावी कार्यवाही,**
- **थाना गरौठा पुलिस द्वारा फर्जी प्रमाण पत्र तैयार कर खतौनी में नाम व रकबा बदलकर बीमा कंपनी से धनराशि प्राप्त करने के मामले में दो अभियुक्त गिरफ्तार।**
- **कब्जे से संपादन (एडिटिंग) में प्रयुक्त उपकरण—एक अदद सी0पी0यू0, एक अदद मॉनीटर, एक अदद माउस, एक अदद की-बोर्ड तथा एक अदद प्रिंटर बरामद।**

कृपया अवगत कराना है कि श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी श्री आकाश कुलहरि के मार्गदर्शन व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के कुशल निर्देशन में जनपद झाँसी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध झाँसी पुलिस द्वारा की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में थाना गरौठा पुलिस द्वारा दिनांक 17.12.2025 को वादी मुकदमा श्री महेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र श्री सत्यप्रकाश निवासी बी-6 ऑफीसर कॉलोनी सीपरी बाजार थाना सीपरी बाजार जिला झाँसी की लिखित तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 205/2025 धारा 318(4),388,336(3),340 बीएनएस बनाम-1.मनोज कुमार पुत्र लखन लाल 2. उमेश कुमार पुत्र राकेश कुमार 3. श्रीमती पूनम देवी पत्नी रामजी 4. श्रीमती फूलन देवी पत्नी छविलाल 5. छविलाल पुत्र कल्लू 6. उमेश कुमार पुत्र खुशीराम 7. श्रीमती रेशू पत्नी सुरेश कुमार 8. श्रीमती भारती पत्नी अखिलेश 9.श्रीमती रोशनी पत्नी धर्मेन्द्र कुमार 10. श्रीमती राममूर्ति पत्नी लखनलाल के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था। जिसकी विवेचना उ0नि0 श्री सुशील कुमार द्विवेदी द्वारा सम्पादित की जा रही है जिसके साक्ष्य के क्रम में थाना गरौठा पुलिस टीम के द्वारा चलाये जा रहे सघन चैकिंग अभियान के अन्तर्गत दिनांक 18.03.2026 को मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में संलिप्त अन्य अभियुक्तगण **1. पारस नायक पुत्र महेन्द्र कुमार नायक निवासी ग्राम डकोर थाना डकोर जिला जालौन उम्र करीब 26 वर्ष 2.भूपेन्द्र सिंह राजपूत पुत्र शैलेन्द्र सिंह राजपूत निवासी ग्राम धरगवां थाना कोतवाली उरई जिला जालौन उम्र करीब 29 वर्ष** को गिरफ्तार किया गया। जिसके विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>संक्षिप्त विवरणः-</u>

उल्लेखनीय है कि दिनांक 17.12.2025 को वादी मुकदमा श्री महेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र श्री सत्यप्रकाश निवासी बी-6, ऑफिसर कॉलोनी, थाना सीपरी बाजार, जनपद झाँसी की लिखित तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 205/2025 धारा 318(4), 388, 336(3), 340 बीएनएस बनाम 1. मनोज कुमार पुत्र लखन लाल आदि 10 नफर के विरुद्ध थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत किया गया था।

उक्त अभियोग से संबंधित साक्ष्य संकलन हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे थे। इसी क्रम में दिनांक 18.03.2026 को संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के दौरान मुखबिर की सूचना पर अभियुक्तों को लखेरी नदी पुल से गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ का विवरणः-

पूछताछ में प्रथम अभियुक्त ने अपना नाम पारस नायक पुत्र महेन्द्र कुमार नायक निवासी ग्राम डकोर, थाना डकोर, जनपद जालौन, उम्र करीब 26 वर्ष बताया। उसने बताया कि वह इफको-टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी में ब्लॉक बड़ागॉंव का ब्लॉक कोऑर्डिनेटर है तथा किसानों की फसल क्षति बीमा से संबंधित कार्य देखता है।

द्वितीय अभियुक्त ने अपना नाम भूपेन्द्र सिंह राजपूत पुत्र शैलेन्द्र सिंह राजपूत निवासी ग्राम धरगवां, थाना कोतवाली उरई, जनपद जालौन, उम्र करीब 29 वर्ष बताया, जो कौशल मार्केट उरई में "काव्या कम्प्यूटर" नाम से दुकान संचालित करता है।

दोनों अभियुक्तों द्वारा मिलकर काव्या कम्प्यूटर सेंटर से खतौनी ऑनलाइन डाउनलोड कर उसमें अंकित खाताधारकों के नाम एवं रकबा परिवर्तित कर फर्जी खतौनी तैयार की जाती थी, जिसे बीमा कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड किया जाता था।

नाम पता अभियुक्त-

1. अभियुक्त पारस नायक पुत्र महेन्द्र कुमार नायक निवासी ग्राम डकोर थाना डकोर जिला जालौन उम्र करीब 26 वर्ष
2. अभियुक्त भूपेन्द्र सिंह राजपूत पुत्र शैलेन्द्र सिंह राजपूत निवासी ग्राम धरगवां थाना कोतवाली उरई जिला जालौन उम्र करीब 29 वर्ष

बरामदगीः-

1. एक सीपीयू ,
2. एक मॉनीटर,
3. माउस, एक की-बोर्ड
4. एक अदद प्रिंटर मय डाटा केबिल

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री सुशील कुमार द्विवेदी
2. उ0नि0 श्री सुरेश चन्द्र तिवारी
3. उ0नि0 श्री राजकुमार पटेल
4. म0उ0नि0 रूबी सिंह
5. हे0का0 46 महावीर सिंह चौहान
6. का0 1467 शिवम सिंह
7. का0 607 हरीश गौतम